रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4909] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 2018/अग्रहायण 21, 1940
No. 4909] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 12, 2018/AGRAHAYANA 21, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2018

का. आ. 6139 (अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मणिपुर के मैतई उग्रवादी संगठनों अर्थात् पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए) तथा इसकी राजनैतिक विंग द रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर पी एफ), द यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ) और इसकी सशस्त्र विंग द मणिपुर पीपल्स आर्मी (एम पी ए), द पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लीपाक (पी आर ई पी ए के) तथा इसकी सशस्त्र विंग द रेड आर्मी, कांग्लीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के सी पी) और इसकी भी सशस्त्र विंग, द "रेड आर्मी," द कांगली याओल कान्बा लुप (के वाई के एल), कार्डिनेशन कमेटी (कॉरकॉम) तथा एलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांग्लीपाक (ए एस यू के) को इनके सभी गुटों, विंगों और अग्रणी संगठनों सहित 'विधिविरूद्ध संगम' घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, एतद्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश, माननीया न्यायमूर्ति सुश्री संगीता ढींगरा सहगल की अध्यक्षता में " "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" का गठन करती है।

[फा. सं. 11011/06/2018-एनई.V]

सत्येंद्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2018

S.O. 6139 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes "The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Hon'ble Justice Ms. Sangita Dhingra Sehgal, Judge of Delhi High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause of declaring the Meitei Extremist Organizations of Manipur, viz, the Peoples' Liberation Army (PLA) and its political wing, the Revolutionary Peoples' Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF) and its armed wing the Manipur Peoples' Army (MPA), the Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing the Red Army, the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing also called the "Red Army", the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL), Coordination Committee (CorCom) and Alliance for Socialist Unity Kangleipak (ASUK) along with all their factions, wings and front organizations as 'Unlawful Associations'.

[F. No.11011/06/2018-NE-V]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.12.13 15:19:06 +05'30'